हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोरटा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 29/2015
दायरा तिथि 29.04.2015
निर्णय तिथि 22.05.2017

वादी–
माणकचंद पुत्र स्व.केसाजी
जाति कुम्हार निवासी कोरटा
तहसील सुमेरपुर

बनामः

प्रतिवादीगण–
स्व.केसाजी पुत्र वजाजी के का.मु.–
1–स्व.सांकलाराम पुत्र स्व.केसाजी के का.मु.–
1/1–रबिबाई पत्नी स्व.सांकलारामजी
1/2–गिरधारीलाल पुत्र स्व.सांकलारामजी
1/3–बबी पुत्री स्व.सांकलारामजी
1/4–विजा पुत्री स्व.सांकलारामजी
1/5–शारदा पुत्री स्व.सांकलारामजी
2–स्व.रतनलाल पुत्र स्व.केसाजी के का.मु.–
2/1–सुमटीबाई पत्नी स्व.रतनलालजी
2/2–पुष्पा पुत्री स्व.रतनलालजी
2/3–गीता पुत्री स्व.रतनलालजी
2/4–मन्जू पुत्री स्व.रतनलालजी
2/5–पिस्ता पुत्री स्व.रतनलालजी
3–प्रतापराम पुत्र स्व.केसाजी
तमाम जाति कुम्हार निवासी कोरटा
तहसील सुमेरपुर
4–उदयसिंह पुत्र नाथूसिंहजी जाति राजपूत
निवासी कोरटा तहसील सुमेरपुर
5–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955 एवं
सपठित धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट,1956

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 22.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोरटा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने हेतु उनकी दलीलों को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए मुख्य रूप से निवेदन किया है कि सरहद मौजा कोरटा, पटवार सर्कल कोरटा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नं. 77 रकबा 40)18 बीघा में से रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) भूमि वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के पिता/दादा स्व.केसा पुत्र वजाजी के नाम अतिरिक्त तहसीलदार बाली द्वारा आदेश क्रमांक–890 दिनांक 02.06.1990 के जरिए आवंटन/नियमन हुई थी जिसका राजस्व रेकर्ड में गत् खसरा नं. 77/6 मी. रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) दर्ज हुई और जिसके हाल खसरा नंबर 178 रकबा 0.45 हेक्टर बने जिसमें से 0.04 हेक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के खातेदारी हक अधिकार बनते है अर्थात हाल खसरा नंबर 178 रकबा 0.45 हेक्टर में से रकबा 0.04 हेक्टर जिसमें से 1/4 हिस्से का

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी कानूनन खातेदार बनता है, परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलती से वादी को उक्त हिस्सा भूमि का खातेदार दर्ज नहीं किया है। इसलिए वादी का यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाकर घोषित किया वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 178 रकबा 0.45 हेक्टर में से रकबा 0.04 हेक्टर जिसमें से 1/4 हिस्से का वादी को कानूनन खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करके अमल दरामद करवाये जाने का आदेश एवं वादी की उक्त घोषित हिस्सा खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादी द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः संबंधित जमाबंदिया संवत् 2024–27, 2028–31, 2044–47, 2052–55, 2056–59, 2068–71, नामान्तकरण सं.235, मिसल बंदोबस्त 2037–56, मिलान क्षेत्रफल व मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रतिया प्रस्तुत की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.05 ने अपने जवाबदावा में वादपत्र के तमाम कथनों व तथ्यों को नकारते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि आबादी से संबंधित है और इस भूमि के बारे में वादी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है, अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जावे। इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प के दौरान प्रश्नगत् मामले में पटवारी कोरटा व भू–अभिलेख निरीक्षक पालडी से वादग्रस्त भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार ग्राम कोरटा के गत् खसरा नं. 77 रकबा 40)18 बीघा में से रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) किस्म गै.मु.वाडा वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के पिता/दादा स्व.केसा पुत्र वजाजी के नाम अतिरिक्त तहसीलदार बाली द्वारा आदेश क्रमांक–890 दिनांक 02.06.1990 के जरिए आवंटन/नियमन होना जिसका जमाबंदी संवत् 2028–31 के खाता सं.14 पर दर्ज होना, गत् खसरा नं. 77/6मी. रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) के नये खसरा नं. 178 रकबा 0.45 हेक्टर किस्म गै.मु.आबादी बने है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत कोरटा के नाम गै.मु.आबादी भूमि दर्ज है, के बारे में तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है।

चूंकि, प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजात व पटवारी कोरटा व भू–अभिलेख निरीक्षक पालडी की तथाकथित जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण पश्चात् हमने पाया कि ग्राम कोरटा में स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नं. 77/6मी. रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) किस्म गै.मु.वाडा से बने नये खसरा नं. 178 रकबा 0.45 हेक्टर किस्म गै.मु.आबादी जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्थानीय ग्राम पंचायत कोरटा के नाम आबादी दर्ज है, से संबंधित कतिपय प्रावधानों के तहत वादी को किसी प्रकार से कानूनन खातेदारी हक–अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है, तथा ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि के बारे में वादी को किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्रदत्त की जा सकती है अर्थात वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः विधि के विपरित होने से व परिपोषणीय एवं चलने योग्य प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा कोरटा, पटवार सर्कल कोरटा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नं. 77/6मी. रकबा 0)5 बीघा (पाव बीघा) किस्म गै.मु. वाडा से बने नये खसरा नं. 178 रकबा 0.45 हेक्टर किस्म गै.मु.आबादी जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्थानीय ग्राम पंचायत कोरटा के नाम आबादी दर्ज है, से संबंधित कतिपय प्रावधानों के तहत वादी को किसी प्रकार से कानूनन खातेदारी हक–अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है, तथा ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि के बारे में वादी को किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्रदत्त की जा सकती है अर्थात वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः विधि के विपरित होने से व परिपोषणीय एवं चलने योग्य प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 22.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–कोरटा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner